सारणी संबंधी टिप्पणियां

सारणी सं. 1

(1) वार्षिक आंकड़े माहों के औसत हैं।

(2) आंकड़े माह/वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

(3) निर्गम और बैंकिंग विभागों में रखी गई रुपया प्रतिभूतियों का जोड़।

(4) केवल ऋण और अग्रिम से संबंधित हैं।

(5) आंकड़े अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार (मार्च के मामले में) से संबंधित हैं।

(6) केवल मुंबई, चेन्नै, कोलकाता और नई दिल्ली संबंधी जोड़।

(7) आंकड़े रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/31 मार्च से संबंधित हैं।

(8) दर्शाई गईं निम्न/उच्च दरें संबंधित अवधि की हैं। बुलेटिन के अप्रैल 2000 अंक से पहले के आंकड़ो का स्रोत भारतीय मितीकाटा और वित्तगृह लि. रहा है। अप्रैल 2000 के अंक से बुलेटिन के आंकड़े मांग मुद्रा कारोबार के व्यापक क्षेत्र के कारण पूर्ववर्ती अवधि के आँकड़ों से पूर्णत: तुलनीय नहीं हैं।

(9) प्रमुख बैंकों से संबंधित।

(10) 5 प्रमुख बैंकों से संबंधित। मूल उधार दर संकल्पना अक्तूबर 1994 से लागू की गई थी।

(11) मासिक आंकड़े सप्ताहों के औसत और वार्षिक आंकड़े माहों के औसत हैं।

(12) आंकड़े माह/वर्ष की समाप्ति से संबंधित हैं।

(13) आंकड़े जनवरी-दिसंबर से संबंधित हैं।

(14) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के नकदी आरक्षित अनुपात (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)।

सारणी सं. 2

निर्गम विभाग के स्वर्ण रिज़र्व का मूल्य 16 अक्तूबर 1990 तक प्रति 10 ग्राम 84.39 रुपए की दर से निर्धारित था और 17 अक्तूबर 1990 से उसका मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाज़ार मूल्य पर निर्धारित किया गया है।

(1) जुलाई 1940 से जारी किए गए भारत सरकार के एक रुपए के नोट इसमें शामिल हैं।

(2) इसमें निम्नलिखित शामिल हैं : (i) 5 करोड़ रुपए की चुकता पूंजी, (ii) 6,500 करोड़ रुपए की आरक्षित निधि (iii) 16 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि तथा (iv) 28 दिसंबर 2007 को समाप्त सप्ताह से 190 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय आवास ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि।

(3) नकदी, अल्पावधि प्रतिभूतियाँ और सावधि जमाराशि शामिल हैं।

(4) राज्य सरकारों को दिए गए अस्थायी ओवरड्राफ्ट शामिल हैं।

(5) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े अन्य आस्तियों के अंतर्गत रखे गए सोने के मूल्य के द्योतक हैं।

सारणी सं. 3 और 4

''बैंकिंग प्रणाली'' अथवा ''बैंक'' अभिव्यक्ति से (क) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक (ख) राष्ट्रीकृत बैंक (ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड 'ग' में यथा परिभाषित बैंकिंग कंपनियाँ, (घ) सहकारी बैंक (जहाँ तक अनुसूचित सहकारी बैंकों का संबंध है) (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और (च) इस बारे में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई भी अन्य वित्तीय संस्था अभिप्रेत है।

(1) राज्य सरकार से किसी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के उधार और किसी सहकारी समिति द्वारा ऐसे बैंक के कार्यक्षेत्र के भीतर ऐसे बैंक के पास रखी जानेवाली अपेक्षित किसी आरक्षित निधि जमा को छोड़कर।

(2) इस मद में से अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक के पास रखी गई सहकारी बैंकों की जमाराशि शामिल नहीं है, परंतु उसे 'कुल जमाराशि' में शामिल किया गया है।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उनके प्रायोजक बैंकों से लिए गए उधार शामिल नहीं हैं।

(4) जहां कहीं ''बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं'' मद में अन्य मांग और मीयादी देयताओं के अंतर्गत अलग से आंकड़े देना संभव नहीं हैं, वहां उन्हें ''अन्य के प्रति देयताएं'' के अंतर्गत ''अन्य मांग और मीयादी देयताएं'' में शामिल किया गया है।

(5) आंकडे 29 दिसंबर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट के शोधन को दर्शाते हैं।

(6) भारतीय रिज़र्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय निर्यात-आयात बैंक से इतर ।

(7) भारत में अनुसूचित बैंको के उधार से संबंधित आँकड़े वही हैं जिन्हें रिज़र्व बैंक के स्थिति विवरण में दिखाया गया है। मीयादी बिल और/अथवा वचन-पत्रों पर उधार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 17 (4) के अधीन लिए गए हैं।

(8) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम-1934 की धारा 17 (4 अअ) के अधीन अनुसूचित राज्य सहकारी बैंको द्वारा लिए गए उधार शामिल हैं।

(9) भारतीय रिज़र्व बैंक के स्थिति विवरण के अनुसार ।

(10) इस मद में सहकारी बैंकों को अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम शामिल नहीं हैं,

बल्कि वे ''ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट'' में शामिल किए गए हैं।

(11) बही मूल्य पर; इनमें खज़ाना बिल और खज़ाना प्राप्तियां, खज़ाना बचत प्रमाणपत्र और डाकख़ाने संबंधी देयताएं शामिल हैं।

(12) इसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए सहभागिता प्रमाण-पत्र शामिल हैं।

(13) इसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा अन्य को जारी किए गए सहभागिता प्रमाण-पत्र शामिल हैं।

(14) कोष्ठकों के आंकड़े खाद्यान्न की सरकारी खरीद के वित्तपोषण के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के अग्रिमों से संबंधित हैं।

सारणी सं. 6

(1) ''अन्य'' से मांग और मीयादी जमाराशियों का जोड़।

(2) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लिए गए उधार शामिल हैं।

(3) बही मूल्य पर; उसमें खज़ाना बिल, खजाना प्राप्तियां, खज़ाना बचत प्रमाण पत्र और डाक संबंधी देयताएं शामिल हैं।

(4) 'ऋण, नकदी ऋण और ओवर ड्राफ्ट' तथा 'खरीदे और भुनाए गए बिलों' का जोड़।

(5) इसमें मध्यवर्ती सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी बैंकों को अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिम शामिल हैं।

सारणी सं. 7

शताब्दी की तारीख में परिवर्तन के संदर्भ में चलनिधि के लिए किसी अप्रत्याशित अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए बैंकों को समर्थ बनाने की दृष्टि से 1 दिसंबर 1999 से 31 जनवरी 2000 तक की अस्थायी अवधि के लिए सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) ''विशेष चलनिधि सहायता'' सुविधा उपलब्ध कराई गई थी ।

(1) 13 अप्रैल 1996 से बैंकों को रुपया निर्यात ऋण तथा अमरीकी डॉलर में मूल्यवर्गीकृत पोतलदानोत्तर निर्यात ऋण को मिलाकर निर्यात ऋण पुनर्वित सुविधा प्रदान की जा रही हैं।

(2) 21 अप्रैल 1999 से प्रभावी सामान्य पुनर्वित सुविधा के स्थान पर संपार्श्विक ऋण सुविधा (सीएलएफ)/अतिरिक्त संपार्श्विक ऋण सुविधा (एसीएलएफ) को लाया गया है। 05 जून 2000 से चलनिधि समायोजन सुविधा प्रारंभ की गई थी और एसीएलएफ को समाप्त कर दिया गया हैं। 5 अक्तूबर 2002 से सीएलएफ़ पूर्णत: समाप्त कर दी गई।

(3) 17 सितंबर 1998 से प्रारंभ की गई विशेष चलनिधि सहायता सुविधा 31 मार्च 1999 तक उपलब्ध थी ।

(4) अमरीकी डॉलर में मूल्यवर्गीकृत पोतलदानोत्तर ऋण योजना (पीएससीएफसी) 8 फरवरी 1996 से समाप्त कर दी गई और उस पर दी जानेवाली पुनर्वित्त सुविधा 13 अप्रैल 1996 से समाप्त कर दी गई । सरकारी प्रतिभूति पुनर्वित्त योजना 6 जुलाई 1996 से समाप्त कर दी गई ।

सारणी सं. 8

क) आंकड़ों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों और अन्य बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों दोनों के चेक समाशोधन शामिल हैं। कागज आधारित अंतर बैंक समाशोधन प्रक्रिया सभी केंद्रो में पिछले जून 2005 से समाप्त कर दी गई है।

अन्य एमआइसीआर केंद्र हैं, आगरा, इलाहाबाद, अमृतसर, औरंगाबाद, बड़ौदा, भीलवाड़ा, कोयम्बतूर, देहरादून, एर्नाकुलम, इरोड, गोरखपुर, ग्वालियर, हुबली, इंदौर, जबलपुर, जालंधर, जमशेदपुर, जम्मू, जोधपुर, कोल्हापुर, कोझीकोड, लखनऊ, लुधियाना, मदुरै, मंगलूर, मैसूर, नासिक, पणजी, पांडिचेरी, पुणे, रायपुर, राजकोट, रांची, सालेम, सोलापुर, सूरत, तिरुचिरापल्ली, तिरुपुर, त्रिशुर, उदयपुर, वाराणसी, विजयवाड़ा एवं विशाखापट्टनम।

ख) ग्राफ : पेपर और इलेक्ट्रानिक भुगतान पर ग्राफ 3 और 4 –इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली के आंकड़ो में आरटीजीएस (ग्राहक तथा अंतर बैंक) और सीसीआइएल द्वारा चालित प्रणाली शामिल है।

सारणी सं. 9 अ

आंकड़े खुदरा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान से संबंधित हैं।

सारणी सं. 9 आ

आंकड़े उच्च मूल्य भुगतान प्रणाली से संबंधित (आरटीजीएस सहित) हैं। चुनिंदा सेवाओं से संबंधित परिचालनों के सीसीआइएल के आंकड़े सीसीआइएल द्वारा प्रकाशित आंकड़ों से लिए गए हैं।

सारणी सं. 10

(क) संशोधित श्रृंखला के अनुसार मुद्रा स्टॉक माप की विस्तृत जानकारी के लिए इस बुलेटिन का जनवरी 1977 का अंक (पृष्ठ सं. 70-134) देखें।

(ख) बैंको में वाणिज्य और सहकारी बैंक शामिल हैं।

(ग) वित्त वर्ष के आंकड़े 31 मार्च से संबंधित हैं, किन्तु अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के आंकड़े मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित हैं। ब्योरे के लिए इस बुलेटिन के अक्तूबर 1991 के अंक के पृष्ठ सं. 963 पर टिप्पणी देखें।

(घ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की मीयादी जमाराशियां 1 अक्तूबर 2003 से रिसर्जेंट इंडिया बांड और 29 दिसंबर 2005 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट का शोधन दर्शाती हैं।

(ङ) आंकड़े अनंतिम हैं।

(1) अप्रैल 1985 तक पाकिस्तान से लगभग 43 करोड़ रुपए के भारतीय नोटों की निवल वापसी।

(2) अनुमानत: रुपया सिक्कों के अंतर्गत अक्तूबर 1969 से जारी किए गए दस रुपए के स्मारक सिक्के, नवंबर 1982 से जारी किए गए दो रुपए के सिक्के और नवंबर 1985 से जारी किए गए पांच रुपए के सिक्के शामिल हैं।

(3) इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष खाता सं. 1, भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि, पेन्शन निधि, उपदान तथा अधिवर्षिता निधि, सहकारी गारंटी निधि के शेष तथा अतिरिक्त परिलब्धि (अनिवार्य जमा) अधिनियम, 1974 और अनिवार्य जमा योजना (आयकर दाता) अधिनियम के अंतर्गत वसूल की गई राशि शामिल नहीं है।

(च) नए लेखांकन मानदंडों तथा संकलन–पद्धति (जून 1998) के अनुरुप संशोधित। यह संशोधन वाणिज्य बैंकों में स्थित पेंशन और भविष्य निधि के संबंध में हैं, जिन्हें अन्य मांग और मीयादी देयताओं के रुप में वर्गीकृत किया गया है तथा उनमें उन बैंकों को शामिल किया गया है, जिन्होंने अब तक इस प्रकार के परिवर्तनों की सूचना दी है।

सारणी सं. 11 तथा 13

(क) 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की स्थापना हो जाने पर रिज़र्व बैंक की कुछ आस्तियाँ और देयताएं नाबार्ड को अंतरित कर दी गई। अत:, इस तारीख से मुद्रा स्टाक के कुल स्रोतों में कुछ पुनर्वर्गीकरण की आवश्यकता समझी गई।

(ख) सारणी 10 की टिप्पणी की मद (ग) देखें ।

(ग) आंकड़े अनंतिम हैं।

(1) इसमें विशेष प्रतिभूतियां शामिल हैं और इसमें 11 दिसंबर 1992 से कोटा वृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की आरक्षित आस्तियों के अभिदान खाते में जमा की गई 751.64 करोड़ रुपए (211.95 मिलियन वि. आ. अधि. के बराबर) की राशि भी शामिल है।

(2) आँकड़े वित्तीय संस्थाओं के बांड/शेयरों में निवेश, उन्हें दिए गए ऋण तथा खरीदे और भुनाए गए आंतरिक बिल की धारिता के हैं। नाबार्ड की स्थापना से बैंकों को इसके पुनर्वित्त इसमें शामिल नहीं हैं।

(3) इसमें स्वर्ण के पुनर्मूल्यन के फलस्वरुप हुई वृद्धि शामिल है, जो 17 अक्तूबर 1990 को लागू अंतराष्ट्रीय बाज़ार मूल्य के बराबर इसका पूनर्मूल्यन किए जाने के बाद किया । इस वृद्धि का तदनुरुपी प्रभाव रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताओं पर पड़ा है।

सारणी सं. 11 अ :

वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण के संकलन का संकल्पनात्मक आधार मुद्रा आपूर्ति : विश्लेषणात्मक एवं संकलन पद्धति पर कार्यकारी दल (अध्यक्ष: डॉ. वाई. वी. रेड्डी) की रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, जुलाई 1998 अंक में प्रस्तुत है, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों की रिपोर्टिंग प्रणाली में परिवर्तन की सिफारिश है और 'नए मौद्रिक समुच्चय: एक परिचय' नामक लेख भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, अक्तूबर 1999 में है।

(1) निवासियों की मीयादी जमाराशि : इसमें अनिवासी प्रत्यावर्तनीय विदेशी मुद्रा में मीयादी जमाराशियां (जैसे एफसीएनआर (बी) और रिसर्जेंट इंडिया बांड (आरआईबी) तथा इंडिया मिलेनियम जमाराशियों (आइएमडी), की निवासी मानदंडो के आधार पर गणना नही करनी है और बैंकों के पेंशन और भविष्य निधि को शामिल नहीं करना है, क्योंकि वे अन्य देयताओं के रूप में मानी गई हैं तथा उसे 'अन्य मांग और सावधि देयताओं' के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(2) अल्पावधि मीयादी जमाराशि : एक वर्ष तक और एक वर्ष की संविदागत मीयाद वाली जमाराशियां हैं। फिलहाल ये कुल घरेलू मीयादी जमाराशियों का 45.0 प्रतिशत होनी अनुमानित हैं।

(3) घरेलू ऋण : इसमें गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात वाली प्रतिभूतियाँ जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्र, शेयर और बांड में बैंको के निवेश शामिल हैं तथा सरकारी और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं परंपरागत बैंक ऋण में (ऋण, नकदी ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा खरीदे और भुनाए गए बिलों के रूप में) किए गए निवेश के अलावा मांग/मीयादी मुद्रा बाज़ार में प्राथमिक व्यापारियों को दिए गए निवल उधार शामिल हैं।

(4) वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां : अनिवासियों की विदेशी मुद्रा देयताएं घटाकर उनकी सकल विदेशी मुद्रा आस्तियां दर्शाती हैं।

(5) पूंजी खाता : इसमें चुकता पूंजी और रिज़र्व शामिल हैं।

(6) अन्य मदें (निवल) : ये वाणिज्य बैंकिंग सर्वेक्षण के घटक और स्रोत के शेष हैं जिसमें अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की अन्य मांग और मीयादी देयताएं, निवल शाखा समायोजन, निवल अंतर बैंक देयताएं आदि शामिल हैं।

सारणी सं. 11 आ :

नए मौद्रिक समुच्चय के संकलन का संकल्पनात्मक आधार, मुद्रा आपूर्ति : विश्लेषणात्मक एवं संकलन पद्धति पर कार्यकारी दल (अध्यक्ष: डॉ. वाई. वी. रेड्डी) की रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, जुलाई 1998 अंक में उपलब्ध है। पुरानी और वर्तमान मौद्रिक श्रृंखलाओं का संबंध भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, अक्तूबर 1999 में 'नए मौद्रिक समुच्चय : एक परिचय' नामक लेख में प्रकाशित किया गया है।

(1) एनएम$_2$ और एनएम$_3$: निवासी अवधारणा पर आधारित है और इसलिए इसे प्रत्यक्षत: एफसीएनआर (बी) जमाराशियों, रिसर्जेंट इंडिया बांड व आइएमडी के रुप में अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशि के रुप में नहीं गिना जाता।

(2) एनएम$_2$: इसमें वाणिज्यिक बैंकों के एम$_1$ और निवासियों की अल्पावधि मीयादी जमाराशि (एक वर्ष और एक वर्ष तक की संविदागत मीयादी जमाराशि सहित) शामिल है।

(3) घरेलू ऋण: बैंक ऋण की नई परिभाषा के अनुसार इसमें बैंकों के निवेश मैं गैर सांविधिक चलनिधि अनुपातवाली प्रतिभूतियाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी वाणिज्यिक–पत्र, शेयर और बांड एवं मांग/मीयादी मुद्रा बाज़ार में प्राथमिक व्यापारियों को निवल उधार शामिल है। वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण में नाबार्ड को भारतीय रिज़र्व बैंक के ऋण और अग्रिम शामिल किए जाएंगे। अन्य घटक जैसे सरकार को ऋण, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश और परंपरागत बैंक ऋण यथावत् हैं।

(4) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी आस्तियां : इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी आस्तियां और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां शामिल हैं (सारणी 11 अ की टिप्पणी 4 देखें)।

(5) पूंजी खाता: इसमें चुकता पूंजी और रिज़र्व शामिल हैं।

(6) बैकिंग प्रणाली की अन्य मदें (निवल)–ये मुद्रा स्टॉक के घटक और स्रोत के इतर अवशिष्ट हैं, जो बैंकिग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताओं आदि के द्योतक हैं।

सारणी सं. 11 इ :

रिजर्व बैंक सर्वेक्षण के संकलन का संकल्पनात्मक आधार, मुद्रा आपूर्ति : विश्लेषणात्मक एवं संकलन पद्धति पर कार्यकारी दल (अध्यक्ष : डॉ. वाई. वी. रेड्डी) की रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, जुलाई 1998 अंक में तथा रिजर्व बैंक बुलेटिन, अक्तूबर 1999 में 'नए मौद्रिक समुच्चय: एक परिचय', शीर्षक लेख में प्रस्तुत है। आरक्षित मुद्रा के घटक (एम$_0$ के रूप में उल्लिखित) यथावत् है। स्रोतों के बारे में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को भारतीय रिज़र्व बैंक का पुनर्वित्त, जो अब तक बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक के दावे का एक भाग हुआ करता था, वाणिज्यिक क्षेत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक के ऋण के रुप में वर्गीकृत किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक की निवल गैर मौद्रिक देयताएं पूंजी खाता (पूंजी और रिज़र्व सहित) और अन्य मद (निवल) में वर्गीकृत किया गया है।

सारणी सं. 12

सारणी 10 की टिप्पणियों की मद (ग) देखें ।

सारणी सं. 27 इ :

(क) चुनिंदा माह के अंतिम दिन के दौरान प्राप्त सरकारी प्रतिभूतियों पर एसजीएल लेनदेनों के आंकड़ो से निकाली गई चुनिंदा सांकेतिक प्रतिभूतियों की भारित औसत आय पर इंटरपोलेशन तकनीक का प्रयोग करते हुए विभिन्न पूर्णांकित मूल्यवाली अवशिष्ट परिपक्वताओं के लिए माह के अंत में आय के अनुमान लगाए गए हैं। किसी प्रतिभूति में प्रत्येक लेनदेन की तदनुरुप आय की गणना निम्नलिखित परिपक्वता आय और मूल्य संबंध के आधार पर की गई है।

$$P + bpi = \sum_{i=1}^{n} \frac{C/V}{1\,(1+ {}^{y}/_{v})^{vt_i}} + \frac{F}{(1+ {}^{y}/_{v})^{vt_n}}$$

जहाँ

P = बांड मूल्य

bpi = खंडित अवधि के ब्याज

c = वार्षिक कूपन भुगतान

y = परिपक्वता आय

v = वर्ष के दौरान ब्याज (कूपन) भुगतानों की संख्या

n = परिपक्वता तक ब्याज (कूपन) भुगतानों की संख्या

F = बांड का प्रतिदान भुगतान

t_i = अंतिम कूपन भुगतान तक वर्ष में लिया गया समय

(ख) प्रत्येक बेची–खरीदी गई प्रतिभूतियों की तदनुरुप भारित औसत आय की गणना उस विशेष दिन को भार के रुप में कारोबार में प्रयुक्त राशिवाली (अंकित–मूल्य) प्रतिभूतियों पर सभी लेन–देनों से प्राप्त आय से निकाली गई है।

(ग) खंडित अवधि (दिनों की संख्या) माह के 30 दिन और वर्ष के 360 दिनों की परंपरा पर आधारित है।

सारणी सं. 29 और 30

सारणी 29 औद्योगिक उत्पादन (क्षेत्रवार और उपयोग आधारित वर्गीकरण) के सूचकांक प्रस्तुत करती है। खनन क्षेत्र के सूचकांकों में संशोधन के कारण और रेडियो रिसीवर, फोटोसेन्सिटैजड पेपर्स, एचसीवी (बस, ट्रक) के चेसिस (एसेम्बली) जैसी चार मदों को भी हटाने तथा विनिर्माण क्षेत्र की मदों में से इंजिन को अलग करने के कारण 1994-95 से आइआइपी आंकड़ों को संशोधित किया गया है। इसका परिणाम आइआइपी के उपयोग आधारित वर्गीकरण में भारांकों के पुन: वितरण में देखा गया। सारणी 30 में विनिर्माण क्षेत्र पर आंकड़े सामान्य सूचकांक और क्षेत्रीय सूचकांक अर्थात खनन और उत्खनन, विनिर्माण और बिजली सहित 17 समूहों के दो अंकीय स्तर पर हैं।

सारणी सं. 31

(क) आंकड़ों में निजी स्थानन तथा बिक्री के लिए उपलब्ध संबंधित आंकड़े शामिल नहीं हैं, परन्तु निजी वित्तीय संस्थाओं द्वारा जुटाई गई राशि शामिल है।

(ख) इक्विटी शेयर में बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

(ग) अधिमान शेयरों में संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर तथा इक्विटी अधिमान शेयर शामिल हैं।

(घ) डिबेंचर में बांड शामिल है।

(ङ) परिवर्तनीय डिबेंचर में अंशत: परिवर्तनीय डिबेंचर भी शामिल हैं।

(च) अपरिवर्तनीय डिबेंचर में जमानती प्रीमियम नोट और जमानती डीप डिस्काउंट बांड शामिल हैं।

(छ) कोष्ठकों के आंकड़े पूंजी निर्गम पर प्रीमियम के आंकड़े हैं जो संबंधित जोड़ में शामिल हैं।

सारणी सं. 35

सोने और चांदी के वायदा व्यापार पर क्रमशः दिनांक 14 नवंबर 1962 और 10 जनवरी 1963 से लागू प्रतिबंध को 1 अप्रैल 2003 से हटा लिया गया है।

(1) यदि शुक्रवार छुट्टी का दिन हुआ, तो ये मूल्य उसके पहले के कार्य–दिवस से संबंधित हैं।

सारणी सं. 36

वार्षिक आंकड़े अप्रैल से मार्च तक के माहों के औसत से संबंधित हैं।

(1) 2001 = 100 को आधार मानकर सूचकांक की नई श्रृंखला जनवरी 2006 से लागू की गई है और इसके साथ ही 1982 को आधार वर्ष मानकर सूचकांक का संकलन बंद कर दिया गया है। जनवरी 2006 और बाद के महीनों के लिए आधार वर्ष 2001 का सूचकांक निकालने के लिए योजक तत्व का प्रयोग किया जा सकता है।

(2) 78 केंद्रों के सूचकांक पर आधारित।

सारणी सं. 37

वार्षिक आंकड़े अप्रैल से मार्च तक के माहों के औसत से संबंधित हैं। 1984-85 = 100 पर आधारित नई श्रृंखला नवंबर 1987 से प्रारंभ की गई है।

(1) 59 केंद्रों के सूचकांक पर आधारित।

सारणी सं. 38

वार्षिक आंकड़े जुलाई–जून माह के औसत से संबंधित हैं।

(1) जुलाई 1960 – जून 1961 = 100 के आधार के संबंध में।

(2) जुलाई 1986 से जून 1987 = 100 की आधारवाली नई सूचकांक श्रृंखला नवंबर 1995 से शुरू की गई थी तथा जुलाई 1960 से जून 1961 = 100 के आधारवाले सूचकांक का संकलन बंद कर दिया गया। इस कालम में दिए गए योजक तत्वों का प्रयोग नवंबर 1995 तथा बाद के महीने के लिए पुराने आधार (अर्थात 1960-61 = 100) सूचकांकों को निकालने के लिए किया जा सकता है।

(3) असम के मामले में, पुरानी श्रृंखला (अर्थात.1960-61 = 100 के आधार के साथ) संयुक्त क्षेत्र अर्थात, असम, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए संकलित की जा रही थी, जबकि नई श्रृंखला (अर्थात्, 1986-87 = 100 के आधार के साथ) इस संयुक्त क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के लिए अलग–अलग संकलित की गई है। पुराने आधार पर असम क्षेत्र के लिए सूचकांक का अनुमान निम्नलिखित नई श्रृंखला के तदनुरूपी सूचकांकों से किया जा सकता हैं :

$$I^{अ}_{पु} = 5.89\ [(0.8126 \text{ X } I^{अ}_{न}) + (0.0491 \text{ X } I^{मणिपुर}_{न}) + (0.0645 \text{ X } I^{मे}_{न}) + (0.0738 \text{ X } I^{त्रि}_{न})]$$

$I_{पु}$ तथा $I_{न}$ क्रमशः पुरानी और नई श्रृंखलाओं के सूचकांक के द्योतक हैं तथा ऊर्ध्व नाम अ, म, मे तथा त्रि क्रमशः असम, मणिपुर, मेघालय एवं त्रिपुरा के द्योतक हैं।

(4) इसी प्रकार, जहाँ पुरानी शृंखला (अर्थात 1960-61 = 100 के आधार पर) संयुक्त क्षेत्र अर्थात पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए संकलित की जा रही थी, वहीं पंजाब क्षेत्र के लिए पुराने आधार पर सूचकांक का अनुमान निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है :

$$I^{प}_{पु} = 6.36\ [(0.6123 \text{ X } I^{प}_{न}) + (0.3677 \text{ X } I^{ह}_{न}) + (0.0200 \text{ X } I^{हि}_{न})]$$

$I_{पु}$ तथा $I_{न}$ क्रमशः पुरानी और नई श्रृंखला के द्योतक हैं और उर्ध्व नाम प, ह, हि क्रमशः पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के द्योतक हैं।

(5) राज्य के लिए सूचकांकों का संकलन सर्वप्रथम नवंबर 1995 में किया गया।

(6) ग्रामीण श्रमिक (कृषि श्रमिक सहित) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन नवंबर 1995 से ही किया जा रहा है।

(7) 8 माह (नवंबर 1995 से जून 1996) का औसत।

सारणी सं. 39 और 40

1993–94 = 100 पर आधारित नई श्रृंखला अप्रैल 2000 में प्रारंभ की गई थी। नई श्रृंखला के क्षेत्र और व्याप्ति के ब्यौरे बुलेटिन के जून 2000 अंक में प्रकाशित किए गए हैं।

सारणी सं. 41

(क) विदेशी व्यापार संबंधी आंकड़े निजी और सरकारी खाते में समुद्री, वायु और सड़क मार्ग से हुए कुल व्यापार से संबंधित हैं। निर्यात एफओबी आधार पर तथा आयात सीआइएफ आधार पर हैं। निर्यात में भारत को पहले आयात किए गए विदेशी व्यापारिक माल का पुनर्निर्यात शामिल हैं तथा आयात का संबंध विदेशी व्यापारिक माल चाहे वह गृह उपयोग, बंधक अथवा पुनर्निर्यात के लिए हो, से हैं। प्रत्यक्ष मार्गस्थ व्यापार, पोतांतरण व्यापार, यात्रियों के सामान, पोत भंडार, रक्षा वस्तुएं तथा कोषागार लेनदेन अर्थात, स्वर्ण, चालू सिक्के तथा नोट, राजनयिक वस्तुएं, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत ''निषिद्ध वस्तुएं'' व्यापार आंकड़ों में शामिल नहीं हैं। जबकि अप्रत्यक्ष मार्गस्थ व्यापार, चांदी में लेनदेन (चालू सिक्के से इतर) तथा अभी तक जारी न किए गए अथवा परिचालन से निकाले गए नोट व सिक्के शामिल हैं।

(ख) जहां तक रुपए में आँकड़ों का संबंध है, पूर्णांकन के कारण संभव है कि मासिक आंकड़ों के जोड़ वार्षिक जोड़ से संगत न हों।

(ग) जहां तक अमरीकी डॉलर और एसडीआर में आंकड़ों का संबंध है, वे भी विनिमय दर के कारण वार्षिक जोड़ से संगत न हों।

सारणी सं. 42 तथा 43

(1) 1980–81 तक के आंकड़े अंतिम हैं, उसके बाद के आंकड़े प्रारम्भतः वास्तविक हैं।

(2) वर्ष में उपचित और अनिवासी भारतीय जमाराशि खाते में जमा किए गए ब्याज को अदृश्य भुगतान के अंतर्गत सांकेतिक बहिर्गमन माना गया है तथा उसे बैंकिंग पूंजी–अनिवासी जमा के अंतर्गत अनिवासी भारतीय जमाराशि में पुनर्निवेश के रूप में जोड़ा गया है।

(3) भुगतान संतुलन संबंधी अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष मैनुअल (पाँचवां संस्करण) के अनुसार मई 1993 से 'गैर मौद्रिक स्वर्ण गतिविधियां' नामक मद अदृश्य मदों से हटा दी गई है। इन प्रविष्टियों को व्यापारिक माल के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(4) वर्ष 1990–91 से रक्षा संबंधी आयात का मूल्य ऋण–वित्तीयन (व्यापारिक–नामे) वाले आयात के अंतर्गत दर्ज किया गया है। ऐसे आयात पूंजी खाते 'ऋण' (भारत को बाह्य वाणिज्यिक उधार) के अंतर्गत दर्शाए गए हैं। सामान्य मुद्रा क्षेत्रवाले रक्षा ऋण संबंधी ब्याज भुगतान, निवेश आय नामे के अंतर्गत और मूल चुकौती ''ऋण (भारत को बाह्य वाणिज्यिक उधार)'' नामे के अंतर्गत दर्ज की जाती है। रुपया भुगतान क्षेत्र के मामले में ऋण के ब्याज का भुगतान और उसके मूलधन की चुकौती को एकसाथ मिलाकर पूंजी खाते में मद ''रुपया ऋण चुकौती'' के अंतर्गत अलग से दिखाया जाता है। यह भुगतान संतुलन संबंधी उच्च स्तरीय समिति (अध्यक्ष ःडॉ. सी. रंगराजन) की सिफारिश के अनुरूप है।

(5) अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष के भुगतान संतुलन मैनुअल (5 वां संस्करण) के प्रावधान के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार से खरीदा गया स्वर्ण, भुगतान संतुलन की सांख्यिकी से अलग रखा गया है। अतः इससे पहले वर्षों के आंकडों को 'अन्य पूंजीगत प्राप्तियां' तथा 'विदेशी मुद्रा रिज़र्व भंडार' में यथोचित समायोजन करते हुए संशोधित कर दिया गया है। इसी प्रकार 'वि. आ. अ. विनियोजन' मद को सारणी से निकाला गया है।

(6) भुगतान संतुलन समाधान संबंधी तकनीकी समूह की रिपोर्ट तथा वाणिज्यिक व्यापार पर वाणिज्यिक आसूचना और अंक संकलन महानिदेशालय की सिफारिश के अनुसार विदेश से लौटने वाले भारतीयों द्वारा लाए गए सोने–चांदी के आँकड़े आयात भुगतान के अर्न्तगत शामिल किए गए हैं तथा उनकी प्रति–प्रविष्टि 1992–93 से निजी अंतरण प्राप्तियों के अंतर्गत की गई है।

(7) अं.मु. कोष के भुगतान संतुलन मैनुअल (5 वां संस्करण) के अनुसार 1997–98 से 'कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति' मद को 'आय' शीर्ष में दर्शाया गया है; इसके पहले 'कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति' मद को 'सेवा–विविध' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता था।

(8) अप्रैल 1998 से संपूर्ण मुद्रा परिवर्तकों द्वारा विदेशी मुद्रा की बिक्री और खरीद को सेवा में 'यात्रा' के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(9) विनिमय दर : विदेशी मुद्रा के लेनदेन को जून 1972 तक सममूल्य/केन्द्रीय दर पर रुपए में परिवर्तित कर दिया गया है और उसके बाद इनको लंदन बाज़ार में प्रचलित दर के आधार पर स्टर्लिंग के लिए बैंक के हाजिर क्रय और विक्रय की औसत दर पर तथा गैर–स्टर्लिंग मुद्रा की मासिक औसत विनिमय दर पर रुपए में परिवर्तित किया गया है । मार्च 1993 से यह परिवर्तन विदेशी मुद्रा बाज़ार में अमरीकी डॉलर के लिए हाजिऱ खरीद और बिक्री की औसत मासिक विनिमय दर और लंदन बाज़ार पर आधारित डॉलर से इतर मुद्रा की औसत मासिक विनिमय दर पर किया जाता है।

व्याख्यात्मक टिप्पणी

भुगतान संतुलन एक सांख्यिकीय विवरण है, जो विशिष्ट कालावधि के लिए शेष विश्व के साथ अर्थव्यवस्था के आर्थिक लेनदेनों का सुव्यवस्थित रूप से संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है।

वाणिज्यिक जमा मालों के निर्यात से संबंधित है जबकि **वाणिज्यिक नामे** मालों के आयात के द्योतक हैं।

यात्रा में अनिवासी द्वारा देश में उनके ठहरने के दौरान किए गए व्यय और विदेश में निवासी यात्रियों द्वारा किए गए व्यय शामिल है।

परिवहन में अंतरराष्ट्रीय परिवहन सेवाओं से संबंधित प्राप्तियाँ और भुगतानों का समावेश है ।

बीमा में सभी प्रकार की बीमा सेवाओं से संबंधित प्राप्तियाँ और भुगतान एवं पुनः बीमा भी शामिल है ।

सरकार अन्यत्र अपरिगणित (जी.एन.आइ.ई) सरकार के खाते में प्राप्तियाँ और भुगतान जो अन्यत्र शामिल नहीं है, साथ ही दूतावास तथा राजनयिक मिशनों तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालयों के रखरखाव के कारण प्राप्तियों और भुगतानों से संबंधित है।

विविध में संचार सेवाओं, निर्माण सेवाओं, साफ्टवेअर सेवाओं, तकनीकी जानकारी, रायल्टी आदि जैसी सभी अन्य सेवाओं के संबंध में प्राप्तियां और भुगतान शामिल हैं।

अंतरण (सरकारी, निजी) बिना किसी प्रतिकर की प्राप्ति और भुगतान के द्योतक हैं।

निवेश आय लेनदेन ब्याज, लाभांश, लाभ के रूप में हैं तथा अन्य पूंजीगत लेनदेनों की सेवाएँ लागू हैं। निवेश आय प्राप्तियों में अनिवासियों को ऋणों पर प्राप्त ब्याज, विदेशी निवेश पर भारतीयों द्वारा प्राप्त लाभांश / लाभ, विदेश में भारतीय एफडीआइ कम्पनियों के पुनर्निवेशित अर्जन, डिबेंचरों पर प्राप्त ब्याज, अस्थायी दर नोट (एफआरएन) वाणिज्यिक पत्र (सीपी), प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा विदेशी मुद्रा ऋणों/निर्यात आगमों पर विदेश में रखी सावधि जमाराशियाँ एवं निधियाँ, विदेशी सरकारों द्वारा करों की पुनः अदायगी/ अनिवासियों द्वारा करों के भुगतान, भारिबैंक निवेश पर ब्याज/बट्टा अर्जन आदि शामिल हैं। निवेश आय भुगतान में अनिवासी जमाराशियों पर ब्याज भुगतान, अनिवासियों से ऋणों पर ब्याज भुगतान, अनिवासी शेयरधारकों को लाभांश / लाभ का भुगतान, एफडीआइ कम्पनियों के पुनर्निवेशित अर्जन, डिबेंचरों पर ब्याज भुगतान, अस्थायी दर नोट, वाणिज्यिक पत्र, सावधि–जमाराशियाँ, सरकारी प्रतिभूतियाँ, विशेष आहरण अधिकार पर प्रभार आदि शामिल हैं।

विदेशी निवेश के दो घटक हैं – प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) और संविभागगत निवेश।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वर्ष 1999–2000 तक भारत को और भारत द्वारा मुख्यतः पूँजीगत ईक्विटी समाहित है। अंतरराष्ट्रीय उत्तम व्यवहारों के अनुरूप ईक्विटी पूँजी के अलावा एफडीआइ का दायरा 2000–01 से पुनर्निवेशित अर्जन (एफडीआइ कम्पनियों के धारित अर्जन) और 'अन्य प्रत्यक्ष पूँजी (संबद्ध अस्तित्वों के मध्य अंतर–कंपनी ऋण लेनदेन) विस्तारित है। ईक्विटी पूँजी के डाटा में निगमित निकायों की ईक्विटी के साथ अनिगमित संस्थाओं (मुख्यतः भारत में विदेशी बैंक शाखाएँ तथा विदेश में परिचालित भारतीय बैंक शाखाएँ) की ईक्विटी शामिल है । अद्यतन वर्ष के पुनर्निवेशित अर्जनों पर डाटा का अनुमान पिछले दो वर्षों के औसत के रूप में अनुमानित हैं, चूँकि ये डाटा एक वर्ष के समयान्तर में उपलब्ध है । उक्त परिशोधन को ध्यान में रखकर, एफडीआइ डाटा, पिछले वर्षों के समान डाटा से मिलान योग्य नहीं है। भुगतान संतुलन (बीओपी) के संकलन के मानक व्यवहार के संदर्भ में, एफडीआइ डाटा के उक्त परिशोधन भारत की समग्र बीओपी स्थिति को प्रभावित नहीं करता चूँकि विदेशी विनिमय भंडार का आगम किसी परिवर्तन को नहीं पाता । फिर भी, बीओपी की रचना में परिवर्तन हो सकता है। ये परिवर्तन हैं – निवेश आय, बाह्य वाणिज्यिक उधार लेने तथा भूलचूक से संबंधित हैं। पुनर्निवेशित आय के मामले में चालू खाते में निवेश आय के तहत समान घनत्व प्रति प्रविष्टि (नामे) है। ''अन्य पूंजी'' एफडीआइ अन्तर्वाह के भाग के रूप में सूचित थी, जो उसी राशि के द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार के तहत सूचित आंकड़ों से निकाला गया। विदेश में भारतीय कंपनियों की 'अन्य पूँजी' तथा अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूँजी वर्ष 2000–01 व 2001–02 की भूल–चूक में समायोजित है ।

संविभागीय निवेश में प्रमुखतः एफआइआइ निवेश, भारतीय कम्पनियों द्वारा जीडीआर/ एडीआर के जरिए और अपतटीय निधियों के माध्यम से जुटाई राशि शामिल हैं। अब तक सूचित विदेशी निवेश के आंकडे. 2000–01 की ईक्विटी पूंजी तथा संविभागीय निवेश के रूप में अलग किए गए।

भारत द्वारा बाह्य सहायता से तात्पर्य विभिन्न करारों के तहत भारत द्वारा अन्य विदेशी सरकारों को प्रदान वित्तीय सहायता एवं ऐसे ऋणों की चुकौती शामिल है। भारत को बाह्य सहायता में भारत सरकार तथा अन्य सरकारों / अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के बीच करार के तह्त प्राप्त बहुपक्षीय और द्विपक्षीय ऋण और भारत द्वारा ऐसे ऋणों की चुकौती शामिल है, पूर्ववर्ती ''रुपया क्षेत्र'' देशों को चुकाए ऋण छोड़कर जो रुपया ऋण सेवा के तहत समाहित हैं।

वाणिज्यिक उधार में सभी मध्यावधि / दीर्घावधि ऋण शामिल हैं। भारत द्वारा वाणिज्यिक उधार विभिन्न देशों को भारतीय निर्यात–आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) द्वारा दिए गए ऋण और ऐसे ऋणों की चुकौती के द्योतक है। भारत को वाणिज्यिक उधार क्रेता की साख, आपूर्तिकर्ता की साख, अस्थायी दर वाले नोटों (एफआरएन), वाणिज्यिक पत्र (सीपी), बांडों, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) को शामिल करते हुए भारतीय कंपनी आदि द्वारा विदेश में जारी ऋणों के आहरण / चुकौती के द्योतक हैं। इसमें भारत विकास बांड, (आइडीबी), रिसर्जेंट इंडिया बांड, इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट (आइएमडी) भी शामिल हैं।

अल्पावधि ऋण एक वर्ष से कम परिपक्वतावाले ऋणों के संबंध में आहरण, उपयोगिता और चुकौती को निर्दिष्ट करता है।

बैंकिंग पूँजी के तीन घटक हैंः (क) वाणिज्यिक बैंकों (एडी) की विदेशी आस्तियाँ (ख) वाणिज्यिक बैंकों (एडी) की विदेशी देयताएँ (ग) अन्य वाणिज्यिक बैंकों की 'विदेशी आस्तियाँ' हैं– (i) विदेशी मुद्रा धारिताएं (ii) अनिवासी बैंकों को रुपया अतिदेय। वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी देयताओं में है– (i) अनिवासी जमाराशियाँ जिसमें विभिन्न अनिवासी जमा योजनाओं की प्राप्तियाँ और विमोचन तथा (ii) अनिवासी जमाराशियों से इतर देयताएँ जिसमें अनिवासी बैंकों और सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं को रुपया तथा विदेशी मुद्रा देयताएँ शामिल हैं। 'अन्य' में बैंकिंग पूंजी के तहत विदेशी केंद्रीय बैंकों के तथा भारि बैंक के साथ रखे गए आइबीआरडी, आइडीए, एडीबी, आइएफसी, आइएफएडी आदि जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के शेष चलन साथ ही लन्दन और टोकियो में दूतावासों द्वारा धारित शेष चलन शामिल हैं।

रुपया ऋण सेवा में रुपया भुगतान क्षेत्र (आरपीए) के संबंध में सिविलियन और नॉन–सिविलियन ऋण के कारण मूलधन की चुकौती और उस पर ब्याज भुगतान शामिल है।

अन्य पूंजी में मुख्यत: निर्यात प्राप्तियों में कमीबेशी (सीमाशुल्क आंकड़ों तथा बैकिंग चैनल के आंकड़ों में अंतर) शामिल है। इसके अलावा, इसमें अन्यत्र शामिल न की गयी विदेश में धारित निधियां, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भारत का अभिदान, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को कोटा भुगतान, शाखा / अनुषंगियों की हानियों की पूर्ति संबंधी विप्रेषण तथा अन्य पूंजी लेनदेनों की अवशिष्ट मदें शामिल हैं।

आरक्षित में घट–बढ. में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा आस्तियों में और भारत सरकार द्वारा धारित एसडीआर की शेष राशियों में परिवर्तन शामिल है। मूल्यांकन के कारण होनेवाले परिवर्तनों को अलग करने के बाद ये रिकार्ड किए जाते हैं। मूल्यांकन परिवर्तन इसलिए होते हैं कि विदेशी मुद्रा आस्तियाँ अमरीकी डॉलर में अभिव्यक्त होती हैं और ये प्रारक्षितों में धारित गैर–अमरीकी मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) के घट–बढ. के प्रभाव को शामिल करते हैं।

सारणी सं. 44

1. स्वर्ण का मूल्यन माह के दौरान औसत लंदन बाज़ार मूल्य पर है।
2. एसडीआर को अमरीकी डॉलर में बदलवाना अंमुको (आइएमएफ) द्वारा जारी विनिमय दरों पर होता है।
3. विदेशी मुद्रा आस्तियों को अमरीकी डॉलर (यूएस डॉलर) में बदलवाना न्यूयार्क समापन विनिमय दरों पर सप्ताहांत (सप्ताहांत आँकड़ों के लिए) तथा मासांत (मासांत आँकडों के लिए) में होता है।
4. विदेशी मुद्रा धारिताएँ रुपया–अमरीकी डॉलर भारतीय रिज़र्व बैंक धारिता दरों पर रुपये में बदली जाती हैं।
5. अंमुको में प्रारक्षित श्रृंखला स्थिति का समावेश अंतरराष्ट्रीय उत्तम संव्यवहारों से मेल खाने हेतु 2 अप्रैल 2004 से विदेशी मुद्रा भंडार में है। तदनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार के आंकडों को अंमुको में आरटीपी में शामिल करने के लिए 2002–03 तथा 2003–04 के दौरान परिशोधित किया गया है।

सारणी सं. 51

दिसंबर 2005 से रीर / नीर के 5 देश के सूचकांकों के स्थान पर 6 मुद्रा सूचकांक रखे गए। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिसंबर 2005 के बुलेटिन में रिप्लेसमेंट की तर्कसंगतता एवं प्रणाली पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया गया है। 6 मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक बनाने हेतु समीक्षा जारी है। अप्रैल-मई 2006 के दौरान चीन के मुद्रास्फीति सूचकांकों में आकस्मिक उछाल ने इस संशोधन को आवश्यक बना दिया। यह उल्लेखनीय है कि पब्लिक डोमेन पर चीन के मुद्रास्फीति सूचकांक सहज उपलब्ध नहीं हैं। सांख्यिकी पर राष्ट्रीय ब्यूरो पब्लिक डोमेन में मासिक आधार पर केवल बिंदु-दर-बिंदु मुद्रास्फीति दर उपलब्ध कराता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1993-94 को आधार वर्ष मानकर मुद्रास्फीति सूचकांक रखे गए हैं । साथ ही, इस बात का उल्लेख करना जरूरी है कि जनवरी 1993 से दिसंबर 1995 की अवधि में चीन की मुद्रास्फीति दर निरंतर दो अंकीय बनी रही। चीन के मुद्रास्फीति सूचकांकों (आधार : 1993-94 = 100) की ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्ति के कारण अप्रैल 2006 में 6 मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में हुई गडबड़ को दूर करने के लिए चीन के मुद्रास्फीति सूचकांकों की नई श्रृंखला 1990 को आधार वर्ष (ऐसा वर्ष जिसमें मुद्रास्फीति दरों में बहुत कम उतार चढ़ाव था) मानकर शुरू की गई। परिणामस्वरूप, 6 मुद्रा रीर (आधार 1993-94=100) बनाने में सुविधा की दृष्टि से चीन के मुद्रास्फीति सूचकांकों की नई श्रृंखला का आधार वर्ष 1990 से 1993-94 बदल गया ।